न्यायालय सहायक कलक्टर (FT),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **26/22 (प्रा0पत्र)**

GCMS No. : 2022/75

अनवान्

1. सुश्री योगेश्वरी पुत्री तिलकराज उर्फ गोपाल लखारा नाबालिग बविलायत माता श्रीमती हेमलता देवी पत्नी तिलकराज उर्फ गोपाल लखारा निवासी ईन्टाली हाल रेलमगरा जिला राजसमन्द।
2. श्री धीरज पिता तिलकराज उर्फ गोपाल लखारा नाबालिग बविलायत माता श्रीमती हेमलता देवी पत्नी तिलकराज उर्फ गोपाल लखारा निवासी ईन्टाली हाल रेलमगरा जिला राजसमन्द।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री गिरधारीलाल पिता चतरभुज लखारा निवासी ईन्टाली तहसील मावली।
2. श्री तिलकराज उर्फ गोपाल पिता गिरधारीलाल लखारा निवासी ईन्टाली तहसील मावली।
3. श्री रूपकला पुत्री गिरधारीलाल पत्नी हिम्मतलाल लखारा निवासी ईन्टाली हाल चिकारडा जिला चित्तौडगढ।
4. श्रीमती चंचल पुत्री गिरधारीलाल पत्नी दिनेश लखारा निवासी ईन्टाली हाल चिकारडा जिला चित्तौडगढ।
5. श्रीमती मीना पुत्री गिरधारीलाल पत्नी नन्दलाल लखारा निवासी ईन्टाली हाल बानसेल तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ।
6. श्रीमती सीता पुत्री गिरधारी पत्नी धर्मेश लखारा निवासी ईन्टाली हाल हथकण्डा तहसील चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ।
7. उप पंजीयक अधिकारी सनवाड तहसील मावली।
8. पटवारी, पटवार हल्का ईन्टाली तहसील मावली।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री भेरूलाल जाट, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक :– 24.04.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा ईन्टाली पटवार हल्का ईन्टाली तहसील मावली के परिशिष्ट अ में वर्णित जी नम्बर 1648 रकबा 0.2995 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम से तहसीलानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 5724/1204 रकबा 0.5989 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं।

2. यह कि उभय पक्षकारान का पारिवारीक सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

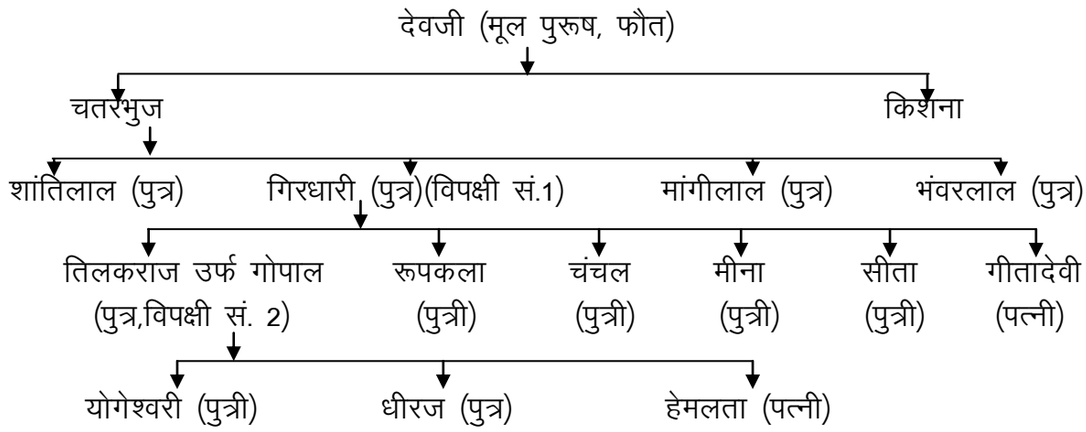

उपरोक्त सजरे अनुसार हमारे मूल पुरूष देवजी थे जिनके दो पुत्र चतरभुज एवं किशना हुए। चतरभुज के वारिस पुत्र शांतिलाल, गिरधारीलाल (विपक्षी संख्या 1), मांगीलाल, भंवरलाल हुए। गिरधारीलाल (विपक्षी संख्या 1) के वारिस पुत्र तिलकराज उर्फ गोपाल (विपक्षी संख्या 2), पुत्रीयां रूपकला, चंचल, मीना, सीता एवं पत्नी गीतादेवी है। तिलकराज उर्फ गोपाल के वारिसान प्रार्थीगण पुत्री योगेश्वरी, पुत्र धीरज एवं पत्नी हेमलता हैं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पूर्व में हमारे मौरूस चतरभुज के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज थी। चतरभुज जी के देहावसान के पश्चात् उक्त भूमि उनके वारिसान पुत्र शांतिलाल, गिरधारीलाल (जो प्रार्थीगण के दादा है), मांगीलाल, भंवरलाल के नाम पर विरासत से दर्ज हुई है जो हम प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होकर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत इसमें हमको जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके है और विपक्षी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि का अपने वारिसान के मध्य आपसी पारिवारीक बंटवाडा कर रखा है और आपसी पारिवारीक बंटवाडे से मेरे पिता विपक्षी संख्या 2 को जो हिस्सा भूमि प्राप्त हुई है उस पर हम प्रार्थीगण की ओर से माता श्रीमती हेमलता काबिज हो काश्त कर रही है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक दखल अधिकार नहीं हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर हम प्रार्थीगण का अपने पिता विपक्षी संख्या 2 के हिस्सा भूमि पर अपने हिस्सेनुसार कब्जा है और काश्त करते आ रहे है जिसमें विपक्षीगण अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं हैं लेकिन लम्बे समय से विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा हम प्रार्थीगण एवं हमारी माता को तंग परेशान किया जा रहा है तथा हम प्रार्थीगण के पिता विपक्षी संख्या 2 द्वारा हमारी एवं हमारी माता का भरण पोषण भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

नहीं किया जा रहा है और अकारण ही हमारा परित्याग कर छोड रखा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वाद वर्णित कृषि भूमि में हमारे हिस्सेनुसार भूमि पर काबिज होकर बडी मुश्किल से अपना जीवन निर्वाह कर रहे है जो भी विपक्षी संख्या 1, 2 को खटक रहा है जिससे विपक्षी संख्या 1 को विपक्षी संख्या 2 (जो विपक्षी संख्या 1 का पुत्र है) बहला–फुसला कर अपने हिस्से की भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करना चाह रहा है और विपक्षी संख्या 1 भी विपक्षी संख्या 2 के उक्त अवैधानिक कृत्य में सहयोग कर अपने नाम अंकित भूमि को हस्तान्तरित करने पर उतारू है जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। इसलिए हम प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा भूमि को खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण की ओर से माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

5. यह कि हम प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें हम प्रार्थीगण को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो गये है लेकिन उक्त भूमि हमारे दादा विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठा विपक्षी संख्या 2, विपक्षी संख्या 1 से मिलीभगत कर उक्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है और हमको हमारी पैतृक कृषि भूमि से वंचित करने पर आमादा है और हमको भूखों मरने की स्थिति में छोडना चाह रहे है और विपक्षी संख्या 3 से 6 भी इनका सहयोग कर रही है जबकि उक्त कृषि भूमि ही हमारी आजीविका का प्रमुख स्त्रोत है। इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि विपक्षी संख्या 1 से 6 हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, विपक्षी संख्या 1 अपने नाम अंकित भूमि को अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, हम प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

6. यह कि हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 04.07.2022 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 से 6 के सिखावे एवं बहकावे में आकर अपने नाम अंकित कुलिया भूमि को खुर्द बुर्द कर हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

की भूमि से वंचित करने एवं जबरन बेदखल करने की धमकी दी। तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अन्त में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 6 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, न ही विपक्षी संख्या 2 से 6 उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 के मार्फत हस्तान्तरित करावे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 7 से 9 को पाबंद किया जावे कि विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार दस्तावेज पंजीयन कराने/नामान्तरकरण खुलाने हेतु पेश करे तो उसका पंजीयन नहीं करे, नामान्तरकरण नहीं खोले, न स्वीकृत करे, न ही राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ही करे, राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

8. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि मैं विपक्षी अपने नाम दर्ज कुलिया कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं जिसमें प्रार्थीगण अथवा अन्य विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा अधिकार, कब्जा भुगत भोग नहीं है, न कभी रहा हैं। मुझ विपक्षी के नाम अंकित भूमि मुझ विपक्षी को मेरे पिता से विरासत में प्राप्त नहीं हुई है, न ही उक्त भूमि पैतृक सम्पति है, न ही मेरी कृषि भूमियों में प्रार्थीगण अथवा विपक्षीगण का मेरे हक हिस्से में कोई कब्जा कभी रहा है, न ही वर्तमान में है। वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1648 एवं अन्य आराजी नम्बर 1649 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि उंकारलाल गोपीलाल जगनाथ पिता किशनलाल लखारा के नाम पर बराबर हिस्से से संयुक्त रूप से रेवेन्यु रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज थी किन्तु इस भूमि के 1/3 हिस्से पर मुझ विपक्षी एवं मेरे अन्य भाईयों का भी लम्बे समय से कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग चला आ रहा है जिससे इस भूमि के सहखातेदार गोपीलाल, जगनाथ जी ने रेवेन्यु अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर उक्त भूमि में मुझ विपक्षी एवं मेरे अन्य भाईयों के हिस्से अनुसार नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया जिसके पश्चात् रेवेन्यु अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर उक्त भूमि में मुझ विपक्षी एवं मेरे अन्य भाईयों के हिस्से अनुसार नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया जिसके पश्चात रेवेन्यु अधिकारियों द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही प्रारम्भ की और आराजी नम्बर 1648 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 1649 रकबा 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि में मुझ विपक्षी गिरधारीलाल, मेरे भाई मांगीलाल, भंवरलाल, शांतिलाल के नाम संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से में खातेदार के रूप में अंकित कर दिये गये जिससे मैं विपक्षी एवं मेरे अन्य भाई इस भूमि के सहखातेदार हुवे तत्पश्चात् सभी सहखातेदारों द्वारा आपसी सहमति से अपनी भूमियों का पांती बंटवाडा किया गया जिससे आराजी नम्बर 1648 रकबा 0.2995 हेक्टेयर कृषि भूमि मुझ विपक्षी एवं मेरे अन्य भाईयों के बराबर हक हिस्से से हिस्से पांती में रही और संयुक्त रूप से हमारे नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त भूमि किसी भी दृष्टि से पैतृक न होकर मुझ विपक्षी की स्वअर्जित सम्पति है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण या विपक्षीगण को किसी प्रकार के कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है, न ही हो सकते हैं। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 5724/1204 रकबा 0.5989 हेक्टेयर कृषि भूमि पर मुझ विपक्षी को लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा था और मुझ विपक्षी ने इस भूमि को काफी लागत लगाकर विकसित कर आवादान कर रखी थी और लम्बे समय से चले आ रहे कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग को देखते हुए दिनांक 17.12.1978 को आंवटन परामर्शदात्रि समिति द्वारा उक्त भूमि मुझ विपक्षी के नाम पर आंवटन करने की सहमति दी गई जिसके पश्चात कार्यालय सब डिवीजनल ऑफिसर वल्लभनगर द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत आंवटन परामर्शदात्रि समिति की सहमति दिनांक 17.12.1978 के अनुसार दिनांक 27.12.1978 को राजकीय भूमि मौजा ईन्टाली तहसील मावली की आराजी नम्बर 5724/1204 रकबा 0.5989 हेक्टेयर कृषि भूमि मुझ विपक्षी के नाम पर आंवटन कर आदेश जारी कर दिया गया तत्पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 376 के जरिए उक्त भूमि मेरे नाम पर गैरखातेदारी हक से दर्ज की गई और इसके बाद आंवटन नियमों की पालना किये जाने से मुझ विपक्षी को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। इस प्रकार उक्त भूमि किसी भी दृष्टि से पैतृक न होकर मुझ विपक्षी की स्वअर्जित सम्पति है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण या विपक्षीगण को किसी प्रकार के कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है, न ही हो सकते है।

9. यह कि मुझ विपक्षी के नाम दर्ज भूमि न तो पैतृक है, न ही मेरी इस भूमि पर विपक्षी संख्या 2 या प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त रहा है, न ही वर्तमान में कोई कब्जा इनका है, न ही प्रार्थीगण या उसकी माता को तंग परेशान किया जा रहा है, न ही इनका परित्याग कर छोड रखा हैं। वास्तविकता यह है कि आराजी नम्बर 1648 के सभी सहखातेदारों के मध्य विगत 3—4 वर्ष से न्यायालय उप जिला कलक्टर महोदय मावली में पांती बंटवाडे व स्टे का दावा चल रहा है जिससे इस भूमि पर किसी भी सहखातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा कोई फसल नहीं बोई जा रही है और विगत 3–4 वर्षो से उक्त भूमि पडत ही हैं। इसके अलावा मुझ विपक्षी की स्वतन्त्र खातेदारी की आराजी नम्बर 5724/1204 को मुझ विपक्षी द्वारा अपनी वृद्वावस्था होने से विगत 15–20 वर्षो से अन्य काश्तकारों को चराई पर दी जा रही है और वर्तमान में इस भूमि को मुझ विपक्षी द्वारा गायरी समाज के व्यक्ति को चराई पर दे रखी हैं। इस प्रकार इस भूमि पर प्रार्थीगण या विपक्षी संख्या 2 से 6 का कोई हक दखल अधिकार न तो पूर्व में रहा है, न ही वर्तमान में है बल्कि शुरू से ही इन भूमियों का मेरे द्वारा ही उपयोग उपभोग किया जाता रहा है। प्रार्थीगण की माता जो स्वयं झगडालु किस्म की महिला है जिसने अकारण ही जानबुझकर विपक्षी संख्या 2 को छोड रखा है और अपने पीहर में निवास कर रही है और प्रार्थीगण को भी अपने पास रखा हुआ है जबकि विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीगण की माता के साथ कभी कोई प्रताडना नहीं की गई है। विपक्षी संख्या 2 आज भी प्रार्थीगण व इनकी माता को अपने साथ रखने को तैयार है फिर भी ये जानबुझकर अलग अपने पीहर में रह रही है और मुझ विपक्षी को तंग परेशान करने के आशय से भूमाफियाओं के सिखावे में आकर यह झूठा मुकदमा आप न्यायालय में कर दिया हैं। उक्त भूमियां पैतृक नहीं होकर मेरी स्वअर्जित है जिससे मेरी इन भूमियों में प्रार्थीगण को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसी अवस्था प्रार्थीगण मेरी खातेदारी की भूमियों में किसी प्रकार के हक हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारी नहीं है, न ही मेरे विरूद्व कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी रखती हैं।

10. यह कि प्रार्थीगण का न तो कोई प्रथम दृष्टया मामला है, न ही सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि मुझ विपक्षी के नाम अंकित भूमियां पैतृक न होकर मेरी स्वअर्जित सम्पति है जिनका मुझ विपक्षी के द्वारा ही निरन्तर उपयोग उपभोग किया जाता रहा है और आज भी उपयोग उपभोग किया जा रहा है तथा उक्त भूमियां मेरी स्वअर्जित सम्पतियां है जिससे मुझ विपक्षी को मेरी खातेदारी की भूमियों का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है तथा मैं इन भूमियों का खातेदार काश्तकार हूं, इसके विपरित प्रार्थीगण की न तो उक्त पैतृक सम्पति है, न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण ने पैतृक सम्पति होने के सम्बन्ध में पेश किया है, न ही प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा है। जब प्रार्थीगण की उक्त भूमि पैतृक नहीं है, न ही कब्जा है तो विपक्षीगण द्वारा मिलकर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने या पैतृक सम्पति से वंचित करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है एवं विपक्षी संख्या 3 से 6 जो लम्बे समय से अपने अपने ससुराल में निवासरत है जो कभी कभार ही अपने पीहर आती है। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण मुझ विपक्षी या अन्य विपक्षीगण के विरूद्व किसी तरह की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं हैं। यदि मुझ विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावेगी तो मै

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जाऊंगा जिससे मुझ विपक्षी को भारी अशोधनीय क्षति एवं हानि होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंकना सम्भव नहीं हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से न तो प्रार्थीगण को कोई क्षति हो रही है, न ही होने वाली हैं।

11. यह कि प्रार्थीगण को मुझ विपक्षी के विरूद्व दिनांक 04.07.2022 को कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं हुआ हैं। प्रार्थीगण ने महज मिथ्या मुकदमा करने की नियत से मनढन्त प्रार्थना पत्र कारण बताकर यह मिथ्या मुकदमा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगण को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। प्रार्थीगण को मेरी उक्त भूमि के सम्बन्ध में मेरे विरूद्व दावा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण मुझ विपक्षी के विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या कथनों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

12. विपक्षी संख्या 2 से 6 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है तथा विपक्षी संख्या 1 उनके नाम दर्ज कुलिया कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है जिसमें हम विपक्षीगण या प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा अधिकार, कब्जा भुगत भोग नहीं है, न कभी रहा हैं। विपक्षी संख्या 1 जो हम विपक्षीगण के पिता है, उनके नाम अंकित भूमि पूर्व में चतरभुज जी के नाम पर अंकित नहीं थी, न ही चतरभुज जी के देहावसान के पश्चात् विरासत के जरिए उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित हुई हैं। उक्त भूमि पैतृक सम्पति नहीं होकर विपक्षी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है जो निर्बाध रूप से विपक्षी संख्या 1 द्वारा ही उपयोग उपभोग की जाती रही है तथा वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 द्वारा ही उपयोग उपभोग की जा रही हैं। उक्त भूमि पैतृक सम्पति नहीं है जिससे इन भूमियों प्रार्थीगण अथवा विपक्षीगण का कोई हक अधिकार अथवा लेना–देना नहीं है, न ही विपक्षी संख्या 1 ने अपने हक हिस्से का कभी कोई पांती बंटवाडा प्रार्थीगण या विपक्षीगण के मध्य किया है ऐसी अवस्था में विपक्षी संख्या 1 की भूमि पर प्रार्थीगण या विपक्षीगण का कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1648 एवं अन्य आराजी नम्बर 1649 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि उंकारलाल गोपीलाल जगनाथ पिता किशनलाल लखारा के नाम पर बराबर हिस्से से संयुक्त रूप से रेवेन्यु रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज थी किन्तु इस भूमि के 1/3 हिस्से पर हमारे पिता एवं उनके अन्य भाईयों का भी लम्बे समय से कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग चला आ रहा था जिस[illegible] इस भूमि के सहखातेदार गोपीलाल, जगनाथ जी ने रेवेन्यु अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर उक्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

उनके अन्य भाईयो के हिस्से अनुसार नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया जिसके पश्चात् रेवेन्यु अधिकारियों द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही प्रारम्भ की और आराजी नम्बर 1648 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 1649 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1, उनके अन्य भाई मांगीलाल, भंवरलाल, शांतिलाल के नाम संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से में खातेदार के रूप में अंकित कर दिये गये जिससे विपक्षी संख्या 1 एवं उनके अन्य भाई इस भूमि के सहखातेदार हुवे तत्पश्चात सभी सहखातेदारों द्वारा आपसी सहमति से अपनी भूमियों का पांती बंटवाडा किया गया जिससे आराजी नम्बर 1648 रकबा 0.2995 हेक्टेयर कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 एवं उनके अन्य भाईयों के बराबर हक हिस्से से हिस्से पांती में रही। इसी प्रकार परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 5724/1204 रकबा 0.5989 हेक्टेयर कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा था और उन्होने इस भूमि को काफी लागत लगाकर विकसित कर आवादान कर रखी थी जिस बात को देखते हुए दिनांक 17.12.1978 को आंवटन करने की सहमति दी गई जिसके पश्चात् कार्यालय सब डिवीजनल ऑफिसर वल्लभनगर द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम, 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत आवंटन परामर्शदात्रि समिति की सहमति दिनांक 17.12.1978 के अनुसार दिनांक 27.12.1978 को राजकीय भूमि मौजा ईन्टाली तहसील मावली की आराजी नम्बर 5724/1204 रकबा 0.5989 हेक्टेयर कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर आंवटन की गई और विपक्षी संख्या 1 के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई तत्पश्चात् आंवटन नियमों की पालना होने से उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम खातेदारी हक से दर्ज कर दी गई। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त भूमियां किसी भी दृष्टि से पैतृक नहीं है बल्कि विपक्षी संख्या 1 की निजी स्वअर्जित सम्पतियां है और इसमें प्रार्थीगण या विपक्षीगण को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है, न ही प्रार्थीगण व विपक्षीगण कोई हक हिस्सा प्राप्त अथवा मांग करने का अधिकार रखते हैं।

13. यह कि वाद वर्णित कृषि भूमियां पैतृक नहीं है बल्कि विपक्षी संख्या 1 की निजी स्वअर्जित सम्पतियां है जो भूमियां प्रारम्भ से वर्तमान तक विपक्षी संख्या 1 के कब्जे अधिकार एवं उपयोग उपभोग चली आ रही है और इन भूमियों से प्रार्थीगण या हम विपक्षीगण का कोई सरोकार नहीं है तथा उक्त भूमि स्वअर्जित होने से विपक्षी संख्या 1 को अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने के अधिकार प्राप्त है तथा आराजी नम्बर 1648 के सभी सहखातेदारों के मध्य विगत 3–4 वर्ष से न्यायालय उप जिला कलक्टर महोदय मावली में पांती बंटवाडे व स्टे दावा चल रहा है जिससे इस भूमि पर विगत 3–4 वर्षों से किसी भी सहखातेदार द्वारा खेती नहीं की जा रही है जिससे यह भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

पडत पडी हैं एवं आराजी नम्बर 5724/1204 जो विपक्षी संख्या 1 के स्वतन्त्र खातेदारी की है, जिसे विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी वृद्वावस्था के चलते विगत 15–20 वर्षों से निरन्तर अन्य काश्तकारो को चराई पर दी जा रही है और वर्तमान में इस भूमि को गायरी समाज के व्यक्ति को चराई पर दे रखी है। ऐसी अवस्था में इस भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा काश्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है एवं इस भूमि पर प्रार्थीगण या विपक्षी संख्या 2 से 6 का कोई हक दखल अधिकार न तो पूर्व में रहा है, न ही वर्तमान में हैं। उक्त भूमि के स्वामी विपक्षी संख्या 1 है और इस भूमि से विपक्षी संख्या 2 का कोई लेना–देना व हिस्सा नहीं है तो विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के नाम पर अंकित भूमि को खुर्द बुर्द करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण की माता ने अकारण अपने पीहर में निवास कर रही है। जबकि विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीगण की माता या प्रार्थीगण के साथ कभी कोई प्रताडना नहीं की गई हैं, न ही तंग परेशान किया गया हैं। प्रार्थीगण की माता स्वयं झगडालु प्रवृति की महिला है जो जानबुझकर अपने पीहर में निवास कर रही हैं जबकि विपक्षी संख्या 2 ने सदैव ही प्रार्थीगण की माता एवं प्रार्थीगण को प्रेम पूर्वक अपने पास रखा है और आज भी इनको अपने साथ रखने को तैयार है तथा विपक्षी संख्या 2 द्वारा अनेको बार आपसी समझाईश कर प्रार्थीगण की माता एवं प्रार्थीगण को अपने साथ रखने के प्रयास किये गये किन्तु प्रार्थीगण की माता विपक्षी संख्या 2 के साथ रहने को तैयार नहीं हुई जिससे मजबूर होकर विपक्षी संख्या 2 ने वैवाहिक सम्बन्धों की स्थापना हेतु प्रार्थीगण की माता के विरूद्व न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मावली में मुकदमा प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की माता जानबुझकर विपक्षी संख्या 2 को छोड रखा है और उसके साथ नहीं रहना चाहती है तथा तंग परेशान करने की नियत से प्रार्थीगण के जरिए यह झूठा मुकदमा न्यायालय आपमें कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। उक्त भूमियां विपक्षी संख्या 1 की स्वअर्जित है जिससे विपक्षी संख्या 1 के जीवनकाल में विपक्षी संख्या 2 का ही कोई हक हिस्सा नहीं बनता है तो इन भूमियों में प्रार्थीगण को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण इन भूमियों में किसी प्रकार के हक हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारी नहीं है, न ही कोई दाद प्राप्त करने का अधिकार रखती हैं।

14. यह कि उक्त भूमियां प्रार्थीगण की पैतृक सम्पतियां नहीं है जिससे प्रार्थीगण का न तो कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है, न ही सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। उक्त भूमियां विपक्षी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति हैं है और विपक्षी संख्या 1 को अपनी भूमियों का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है तथा विपक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 द्वारा निर्बाध रूप से अपनी भूमियों का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। जब विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि के इन्च मात्र भू भाग पर न तो प्रार्थीगण का कब्जा है, न ही हम विपक्षीगण का कब्जा है तो ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण को उनकी पैतृक सम्पति से वंचित करने, हमारे द्वारा दखलन्दाजी करने, प्रार्थीगण की आजीविका का प्रमुख स्त्रोत होने का कथन स्वयमेव निराधार एवं कपोल कल्पित है। उक्त भूमि पैतृक होने के बारे में प्रार्थीगण ने मौखिक कथन ही किया है जबकि अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे उक्त भूमियां प्रार्थीगण की पैतृक होने का कथन सही माना जाना सम्भव नहीं हैं। जब प्रार्थीगण की उक्त भूमि पैतृक नहीं है, न ही कब्जा है तो विपक्षीगण द्वारा मिलकर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने या पैतृक सम्पति से वंचित करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है एवं हम विपक्षी संख्या 3 से 6 जो लम्बे समय से अपने अपने ससुराल में निवासरत है जो कभी कभार ही अपने पीहर आती जाती है तथा प्रार्थीगण की माता प्रार्थीगण के साथ ही वर्षों से अकारण अपने पीहर में निवास कर रही है और विपक्षी संख्या 2 पर दबाव बनाकर विपक्षी संख्या 2 को भी अपने साथ पीहर में रखना चाहती है। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व किसी तरह की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी नहीं हैं। यदि हमारे विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावेगी तो प्रार्थीगण इसकी आड लेकर विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमियों में दखलन्दाजी करेगे एवं जबरन कब्जा करने के प्रयास करेगें जिससे पक्षकारों के मध्य व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढ जावेगी जिससे हमको भारी अशोधनीय क्षति एवं हानि होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में आंकना सम्भव नहीं हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से न तो प्रार्थीगण को कोई क्षति हो रही है, न ही होने वाली हैं।

15. यह कि प्रार्थीगण को हमारे विरूद्व दिनांक 04.07.2022 को कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं हुआ हैं। प्रार्थीगण ने महज मिथ्या मुकदमा करने की नियत से मनगढन्त प्रार्थना पत्र कारण बताकर यह मिथ्या मुकदमा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगण को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। प्रार्थीगण हम विपक्षीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति के अधिकारी नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या कथनो पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

16. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

17. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थीगण उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को पैतृक सम्पति होना बताकर घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। चूंकि प्रकरण में विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग–उपभोग करने का पुरा पुरा अधिकार है, ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा नही दी जा सकती है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन* – चूंकि वाद वर्णित भूमि के खातेदार विपक्षी सं. 1 है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुआ हैं। यदि खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे खातेदार को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध में निर्णित किया जाता है।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार विपक्षी सं. 1 है। खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

18. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि मौजा ईन्टाली पटवार हल्का ईन्टाली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 223 पर दर्ज आराजी नम्बर 5724/1204 रकबा 0.5989 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर एवं खाता संख्या 439 पर दर्ज आराजी नम्बर 1648 रकबा 0.2995 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम पर हिस्सेनुसार दर्ज है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी पैतृक सम्पति होना बताकर घोषणा का वाद प्रस्तुत कर उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में विपक्षी सं. 1 प्रार्थीगण के दादा है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2 से 6 वर्तमान में उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पति हो। विपक्षी संख्या 1 खातेदार काश्तकार होकर HUF कर्ता खानदान होने से विपक्षी संख्या 1 को अपनी भूमि के उपयोग–उपभोग का पुरा अधिकार था। प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी तथा खातेदार को असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये गये है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested